Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में क्षेत्रीय वन अधिकारी व होमगार्ड 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 दिसम्बर, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजबहादुर मीना, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सवाई मानसिंह अभयारण्य फलौदी, सवाईमाधोपुर एवं रामजीलाल, होमगार्ड नम्बर 149, सवाई मानसिंह अभयारण्य फलौदी, सवाईमाधोपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि रवान्नाशुदा बजरी के डम्पर परिवाहन पर कार्यवाही नही करने की एवज में राजबहादुर मीना, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सवाई मानसिंह अभयारण्य फलौदी, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रति डम्पर 5 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजबहादुर मीना पुत्र श्री सन्तराम मीना, निवासी खानपुर मीना महसील बाड़ी जिला धौलपुर हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, सवाई मानसिंह अभयारण्य फलौदी, सवाईमाधोपुर एवं रामजीलाल पुत्र श्री रामकुवांर, निवासी ठींगला पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाईमाधोपुर हाल होमगार्ड नम्बर 149, सवाई मानसिंह अभयारण्य फलौदी, सवाईमाधोपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।